GOVERNEMNT OF INDIA (भारत सरकार)

MINISTRY OF RAILWAYS (रेल मंत्रालय)

RAILWAY BOARD (रेलवे बोर्ड)

****

2015/TG1/10/P/UTS **New Delhi, dated 10 .06.2015**

The Chief Commercial Managers
All Zonal Railways

Commercial Circular No.35 of 2015

Sub: Issue of unreserved tickets of higher classes through UTS, JTBS and YTSK.

In the UTS, apart from unreserved second class tickets, there is a provision for issuance of unreserved tickets for higher classes. UTS machines have also been provided to JTBS and YTSK licensees and in terms of paras 4(iii) to 4 (v) of Commercial Circular No. 12 of 2014 and S. No. 6 of Commercial Circular no. 45 of 2014, they have been authorized to issue following types of tickets:-

(i) all tickets which can be issued through UTS except higher class and concessional tickets.

(ii) unreserved concessional tickets to senior citizens.

(iii) renew season tickets.

(iv) platform tickets.

2. Tickets for higher classes are generally issued on authorisation by the concerned officer. However, there are no specific instructions in this regard.

3. With a view to maintain uniformity as also to streamline the procedure, it has been decided that for issuing of unreserved tickets through UTS by booking clerks of Indian Railways, JTBS & YTSK, following course of action should be adopted:-

(i) Booking clerks of Indian Railways working at UTS counters are allowed to issue unreserved 2S class tickets only. However, they can issue unreserved tickets for higher classes also if specifically authorised by Chief Booking Supervisor or any other officer, as decided by Zonal Railways.

(ii) To meet the local requirements e.g. where reserved coaches have been declared as unreserved, etc., Zonal Railways can also notify specific sections for issuance of unreserved tickets of higher class.

(iii) JTBS and YTSK are presently allowed to issue unreserved Second class tickets, platform tickets and renew season tickets. However, if Railways so

desire, JTBS and YTSK licensees can also be authorised to issue unreserved Sleeper class tickets to meet the demand of specific sections.

4. This issues with the concurrence of Finance and Accounts Directorates of Ministry of Railways.

5. Necessary instructions may be issued to all concerned

(Sanjay Manocha)
Dy. Director Traffic Commercial(G) -II
Railway Board

2015/TG1/10/P/UTS **New Delhi, dated 10.06.2015**

Copy to :

FA&CAO, all Zonal Railways
Director (Audit), All Zonal Railways

(M.K. Dubey)
For, Financial Commissioner, Railways

Copy to:

1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

*****

Dell/B/my documents/LETTER/letter_2015

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2015/टीजी-I/10/पी/यूटीएस | नई दिल्ली, दिनांक 10.06.2015

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 35)

विषय : उच्च श्रेणियों की अनारक्षित टिकटें यूटीएस, जेटीबीएस और वाईटीएसके के माध्यम से जारी करना।

यूटीएस में अनारक्षित द्वितीय श्रेणी की टिकटों के अलावा उच्च श्रेणी की अनारक्षित टिकटें भी जारी करने का प्रावधान है। जेटीबीएस और वाईटीएसके लाइसेंसधारियों को भी यूटीएस मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं और 2014 के वाणिज्य परिपत्र सं. 12 के पैरा 4(iii) से 4(v) और 2014 के वाणिज्य परिपत्र सं. 45 के क्र. सं. 6 के अनुसार, उन्हें निम्नलिखित किस्म की टिकटें जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है:-

(i) उच्च श्रेणी और रियायती टिकटों को छोड़कर सभी प्रकार की टिकटें जो कि यूटीएस से जारी की जा सकती हैं।
(ii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनारक्षित रियायती टिकटें।
(iii) सीज़न टिकटों का नवीकरण।
(iv) प्लेटफॉर्म टिकटें।

2. उच्च श्रेणी की टिकटें सामान्यत: संबंधित अधिकारी के अनुमोदन पर जारी की जाती हैं। बहरहाल, इस संबंध में कोई विशिष्ट अनुदेश नहीं है।

3. एकरूपता बनाए रखने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए भी यह विनिश्चय किया गया है कि भारतीय रेलवे के बुकिंग क्लर्कों, जेटीबीएस और वाईटीएसके द्वारा यूटीएस से अनारक्षित टिकटें ज़ारी करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाई जाए:-

(i) यूटीएस काउन्टरों पर कार्यरत भारतीय रेलवे के बुकिंग क्लर्कों को केवल अनारक्षित 2एस श्रेणी की टिकटें जारी करने की अनुमति है। बहरहाल, क्षेत्रीय रेलों द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार यदि उन्हें मुख्य बुकिंग

--2/--

पर्यवेक्षक या किसी अन्य अधिकारी द्वारा विशिष्ट रूप से अधिकृत किया जाता है तो वे उच्च श्रेणियों के लिए भी अनारक्षित टिकटें जारी कर सकते हैं।

(ii) स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथा जहां आरक्षित कोचों को अनारक्षित घोषित किया गया हो आदि, क्षेत्रीय रेलें भी उच्च श्रेणी की अनारक्षित टिकटें जारी करने के लिए विशिष्ट खण्डों को अधिसूचित कर सकती हैं।

(iii) जेटीबीएस और वाईटीएसके को वर्तमान में अनारक्षित द्वितीय श्रेणी की टिकटें, प्लेटफॉर्म टिकटें जारी करने और सीज़न टिकटों का नवीकरण करने की अनुमति दी जाती है। बहरहाल, यदि रेलें चाहती हैं तो विशिष्ट खण्डों की मांग को पूरा करने के लिए जेटीबीएस और वाईटीएसके लाइसेंसधारियों को भी अनारक्षित शयनयान श्रेणी की टिकटें जारी करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त एवं लेखा निदेशालयों की सहमति से जारी किया जाता है।

5. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएं।

(संजय मनोचा)
उप निदेशक यातायात वाणिज्य(सा.)-II
रेलवे बोर्ड

सं. 2015/टीजी-I/10/पी/यूटीएस **नई दिल्ली, दिनांक 10.06.2015**

<u>प्रतिलिपि:-</u>
वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
निदेशक (लेखा परीक्षा), सभी क्षेत्रीय रेलें

मनोज दुबे
कृते वित्त आयुक्त, रेलवे

--3/-

<u>प्रतिलिपि प्रेषित :</u>

1) सीसीएम/पीएम एवं सीसीएम/पीएस, सभी क्षेत्रीय रेलें.
2) एडीजी/पीआर, ईडीवी(टी), ईडीएफसी, डीएफ(सी), ओएसडी/टीसी, एफ(सी) एवं वी(एसएस) शाखाएं, रेलवे बोर्ड.
3) प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली.
4) महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली.
5) महानिदेशक, प्रोफेसर/प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/वाणिज्य, रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा.
6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर.
7) निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाईपास रोड, मानक नगर, लखनऊ-2260011.
8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3, चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली.
9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली.
10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली
11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (इरपोफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली
12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली
13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे. एल. नेहरू रोड, कोलकाता-71.